न्यायालय सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला सांचौर

पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 05/2023

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
पीराराम पुत्र खुमाराम जाति भील निवासी रानीवाड़ा कलां तहसील रानीवाड़ा जिला सांचौर		1. छगना पुत्र सोना जाति भील निवासी अमरापुरा तहसील रेवदर जिला सिरोही 2. पाता पुत्र नानजी जाति भील निवासी वगतापुरा तहसील रानीवाड़ा जिला सांचौर 3. भूमिधारी तहसीलदारजी रानीवाड़ा जिला सांचौर 4. आर.एम.जी.बी बैक शाखा बड़गांव

दावा बाबत बंटवाडा एवं जारी करने स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति :—

1. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई।
2. प्रतिवादी संख्या 2 के अधिवक्ता श्री अमृतलाल कटारिया।
3. प्रतिवादी संख्या 3 राजपेरोकार।

—: निर्णय :—

दिनांक 15.02.2024

1. वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अंतर्गत धारा 53, 188 बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मौजा बड़गांव तहसील रानीवाड़ा में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की समलाती व संयुक्त खातेदारी की आराजी नवीन खसरा नंबर 1928 रकबा 2.30 हैक्टेयर आई हुई हैं, जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में छगना पुत्र सोना हिस्सा 3/4 जाति भील सा. अमरापुरा तहसील रेवदर जिला सिरोही व पीराराम पुत्र खुमाराम हिस्सा 1/4 जाति भील सा. रानीवाड़ा कलां खातेदार के नाम दर्ज हैं। मौजा वगतापुरा तहसील रानीवाड़ा में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 615 रकबा 0.41 हैक्टेयर आई हुई हैं, जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में छगना पुत्र सोना हिस्सा 2/3 जाति भील सा. अमरापुरा तहसील रेवदर जिला सिरोही, पाता पुत्र नानजी हिस्सा 1/12 जाति भील सा. देह खातेदार तथा पीराराम पुत्र खुमाराम हिस्सा 1/4 जाति भील सा. रानीवाड़ा खातेदार दर्ज है।

   उक्त वादग्रस्त आराजी का रेकर्डेड व विधिवत बंटवाड़ा नहीं हुआ है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को उक्त आराजी का आपसी सहमति से कई बार विधिवत बंटवाड़ा करवाने का कहा परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने उक्त आराजी का विधिवत बंटवाड़ा करवाने में आना कानी की। दिनांक 21.11.2022 को वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वादग्रस्त आराजी का मौके पर क[illegible] व हिस्से माफिक आपसी सहमति से विधिवत बंटवाड़ा करवाने का कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने आपसी सहमति से वादग्रस्त आराजी का विधिवत बंटवाड़ा करवाने से मना कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.19 18:15:40 IST
Reason: SelfAttested

व 2 ने वादी को ऐलानिया धमकी दी कि हम उक्त आराजी का आपसी सहमति से बंटवाड़ा नहीं करवायेंगे तथा तुमनें ज्यादा किया तो हम तुम्हें तुम्हारे कब्जे काश्त की आराजी से लाठी के बल पर बेदखल कर देंगे तथा उक्त आराजी को बिना बंटवाड़ा करवाये बैचान कर देंगे। इसलिए वादी वादग्रस्त आराजी का अपने हिस्से व मौके पर कब्जे काश्त माफिक व बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवाड़ा करवा कर अपना अलग बंटवाड़ा में प्राप्त करने का अधिकारी होने तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अवैध व गैर कानूनी कृत्यों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रूकवाने का अधिकारी होने से वादी की ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह दावा बाबत बंटवाड़ा खातेदारी आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश हैं।

अतः उक्त विवादीत आराजी मौजा बड़गांव तहसील रानीवाड़ा के नवीन खसरा नंबर 1928 रकबा 2.30 हैक्टेयर का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर व मौके पर कब्जे काश्त अनुसार बंटवाड़ा कर उपरोक्त आराजी में से वादी को 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 को 3/4 हिस्सा अलग अलग बंट में दिया जावे तथा मौजा वगतापुरा तहसील रानीवाड़ा के नवीन खसरा नंबर 615 रकबा 0.41 हैक्टेयर का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के बीच बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर व मौके पर कब्जे काश्त अनुसार बंटवाड़ा कर उपरोक्त आराजी में से वादी को 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 को 2/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 को 1/12 हिस्सा अलग अलग बंट में दिया जावे। इसी माफिक लगान के निर्धारण व राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हेतु भूमिधारी तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेश फरमावे। साथ ही बाद बंटवाडा वादी के बंट में आने वाली आराजी पर प्रतिवादीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें।

2. वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गए। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से बाद तामील सम्मन अनुपस्थित होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 2 के अधिवक्ता व राजपेरोकार द्वारा जवाब नहीं दिया गया।

3. दिनांक 08.02.2024 को न्यायालय द्वारा वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के अधिवक्ताओं के निवेदन पर विवादीत आराजी मौजा बडगांव के खसरा नम्बर 1928 रकबा 2.30 हेक्टेयर व मौजा वगतापुरा के खसरा नम्बर 615 रकबा 0.41 हैक्टेयर आराजी में खातेदारो के हक हिस्से व कब्जे काश्त अनुसार रास्ते की सुविधा देते हुए बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड के जरिये बंटवाडा प्रस्ताव के प्राथमिक डिक्री के आदेश तहसीलदार रानीवाडा को किये गये। तहसीलदार रानीवाडा से पत्रांक/कोर्ट/2024/53 दिनांक 09.02.2024 के द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना मंगवाई गई। जिस पर तहसीलदार रानीवाडा द्वारा कब्जा काश्त अनुसार बंटवारा प्रस्तावित कर पत्रांक/राजस्व/2024/126 दिनांक 15.02.2024 से इस न्यायालय को प्रस्तुत किये हैं।

4. तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव पर उपस्थित पक्षकारान को पढकर सुनाया गया । उभयपक्ष के विद्वांन अधिवक्ता को सुना गया, जिनके द्वारा किसी प्रकार की विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं करते हुए सहमति दी गई एवं आदेशिका पर सहमति स्वरूप अपने हस्ताक्षर किये। अतः तहसीलदार रानीवाड़ा से प्राप्त प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवाडा किया जाना उचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्न लिखित अनुसार पारित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.19 18:15:40 IST
Reason: SelfAttested

- मौजा बडगांव के खसरा नम्बर 1928 रकबा 0.57 हैक्टेयर में

क. सं.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग	लगान राशि
1.	पीराराम पुत्र खुमाराम जाति भील सा. रानीवाडा	1928	2.30	0.5750	बा. प्र.	नीला	नियमानुसार
2.	छगना पुत्र सोना जाति भील सा. अमरापुरा	1928	2.30	1.7250		भूरा	

- मौजा वगतापुरा के खसरा नम्बर 615 रकबा 0.41 हैक्टेयर में।

1	पीराराम पुत्र खुमाराम जाति भील सा. देह	615	0.41	0.1025	बा.दो.	नीला	नियमानुसार
2	छगना पुत्र सोना हिस्सा 8/9 पाता पुत्र नानजी हिस्सा 1/9 जाति भील सा. देह	615	0.41	0.3075	बा.दो.	भूरा	

5. उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मोमीयॉ नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। उक्त बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

(भागीरथ राम)
सहायक कलेक्टर
रानीवाडा जिला–सांचौर

निर्णय आज दिनांक 15.02.2024 से सरे इजलाज सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.19 18:15:40 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code, Appendix “D”-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला सांचौर

पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथराम, आर.ए.एस.

वादी		प्रतिवादीगण
पीराराम पुत्र खुमाराम जाति भील निवासी रानीवाड़ा कलां तहसील रानीवाड़ा जिला सांचौर	**बनाम**	1. छगना पुत्र सोना जाति भील निवासी अमरापुरा तहसील रेवदर जिला सिरोही 2. पाता पुत्र नानजी जाति भील निवासी वगतापुरा तहसील रानीवाड़ा जिला सांचौर 3. भूमिधारी तहसीलदारजी रानीवाड़ा जिला सांचौर 4. आर.एम.जी.बी बैक शाखा बड़गांव

अन्तर्गत धारा 53 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 05/2023

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादी की ओर से वकील श्री मोहनलाल विश्नोई उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 2 की ओर वकील श्री जानू प्रशांत उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 3 राजपेरोकार उपस्थित, तथा प्रतिवादी संख्या 1 अनुपस्थित रहने से एक पक्षकीय कार्यवाही होने से अनुपस्थित। मनजानिव मुद्रायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा उक्त प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

- **मौजा बडगांव के खसरा नम्बर 1928 रकबा 0.57 हैक्टेयर में**

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग	लगान राशि
1.	पीराराम पुत्र खुमाराम जाति भील सा. रानीवाडा	1928	2.30	0.5750	बा.प्र.	नीला	नियमानुसार
2.	छगना पुत्र सोना जाति भील सा. अमरापुरा	1928	2.30	1.7250		भूरा	

- **मौजा वगतापुरा के खसरा नम्बर 615 रकबा 0.41 हैक्टेयर में।**

1	पीराराम पुत्र खुमाराम जाति भील सा. देह	615	0.41	0.1025	बा.दो.	नीला	नियमानुसार
2	छगना पुत्र सोना हिस्सा 8/9 पाता पुत्र नानजी हिस्सा 1/9 जाति भील सा. देह	615	0.41	0.3075	बा.दो.	भूरा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.19 18:15:40 IST
Reason: SelfAttested

उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मीमोयॉ नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। उक्त बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाति है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 15.02.2024 को जारी की गई।

(भागीरथ राम)
सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–सांचौर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	2	00
स्टाम्प वकालतनामा	2	00	ज्वाबदावा	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	0	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीश्नर	0	00	फीस कमीश्नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	4	00	**मौजाना**	2	00

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.19 18:15:40 IST
Reason: SelfAttested